न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 247/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण		राजस्थान राज्य

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

दिनांक – 28/05/23

आदेश

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/2022/756 दिनांक 17.03.2023 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत जालीपा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 451/119 रकबा 0.1133 हैक्टेयर भूमि राजस्थान सरकार के नाम समर्पित है, जिसमे से रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में खाली है तथा रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है, जबकि शेष भूमि सड़क परिहवन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से अवाप्त हो रखी है तथा मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 629/118 में से रकबा 0.1942 हैक्टेयर भूमि भी राजस्थान सरकार के नाम समर्पित की हुई है तथा वर्तमान में खाली है साथ ही रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है। लिहाजा मौजा जालीपा के खसरा संख्या 451/119 व 629/118 रकबा क्रमशः 0.1052 व 0.1942 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया साथ ही तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव दिनांक 26.01.2023 में उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल – जालीपा

तहसील – बाडमेर ग्रामीण

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी						नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी			
क. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्तें में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1		756/17.03.2023	जालीपा	451/119	0.1052	बा.दो.	451/119	0.1052	गै.मु. रास्ता
2		756/17.03.2023	जालीपा	629/118	0.1942	बा.दो.	629/118	0.1942	गै.मु. रास्ता

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर